शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश

(सत्र 2014–15 से प्रभावी)

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	1
2	आरटीई अधिनियम के अनुसार निःशुल्क सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया :	2–6
3	सत्यापन प्रक्रिया :	7–8
4	पुणर्भरण प्रक्रिया	9
5	गैर सरकारी संस्थाओं को मान्यता देने/वापिस लेने संबंधी प्रक्रिया	10
6	परिशिष्ट :	
	1. आदेश/परिपत्रों का सारांश	11–12
	2. अधिनियम/नियम संबंधी प्रावधान	13–16
	3. अधिसूचनाएँ	17–18
	4. एन्ट्री कक्षा के संबंध में राज्य सरकार का आदेश	19
	5. प्रवेश आवेदन पत्र का प्रारूप	20–21
	6. प्रवेश प्रक्रिया संबंधी उदाहरण	22–23
	7. सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न	24–25

अध्याय 1 : पृष्ठभूमि

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया जिसकी धारा 12 के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बलवर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक–बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी, जिसका पुनर्भरण राज्य नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

सत्र 2012–13 में 14755 गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा इस प्रावधान के अन्तर्गत 100001 बालक–बालिकाओं को प्रवेश दिया गया। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों का पुर्नभरण भी किया गया है।

राज्य में वर्तमान में लगभग 37000 से अधिक गैर सरकारी विद्यालय संचालित है। स्पष्ट है कि इन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को नियमानुसार सम्पन्न करवाना, समय–समय पर पुर्नभरण करवाना एवं समस्त कार्य की मॉनिटरिंग करवाने का कार्य श्रमसाध्य है। इसको दृष्टिगत रखते हुये सत्र 2013–14 से राज्य सरकार ने यह सम्पूर्ण कार्य ऑन लाइन किये जाने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार द्वारा NIC के सहयोग से वेब पोर्टल निर्माण किये जाने से सत्र 2014–15 से बालक–बालिकाओं के प्रवेश हेतु प्रवेश फार्म मिलने से लेकर पात्र शिक्षार्थियों की विद्यालयों को फीस के पुनर्भरण तक समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन ही होगी। इस कारण गैर सरकारी विद्यालयों के साथ–साथ ब्लॉक, जिला व निदेशालय के कार्यालयों पर कार्यभार तो कम होगा ही साथ ही सम्पूर्ण व्यवस्था, पारदर्शी तथा निर्देशानुसार सम्पन्न हो सकेगी एवं इस प्रवेश प्रक्रिया का प्रभावी मॉनिटरिंग भी किया जा सकेगा। प्रवेश कार्य को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि से सत्र 2014–15 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए संशोधित दिशा निर्देश प्रसारित किये जा रहे है। ये दिशा–निर्देश गैर सरकारी विद्यालयों, माता–पिता एवं अभिभावकों तथा विभागीय अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

उक्त सम्पूर्ण व्यवस्था की सभी प्रक्रियाओं को सरलता व सुगमतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिये दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं जिनको पढ़कर निजी विद्यालय तथा संबंधित कार्यालय अपने–अपने कार्य व दायित्व निभा सकेंगे।

ये दिशा निर्देश मूल अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियम, 2011 तथा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेश/परिपत्रों के आधार पर तैयार किये गये है। **(संलग्न परिशिष्ट–1)** यदि इनमें और मूल अधिनियम / नियम /अधिसूचना /निर्देश/आदेश में कोई विसंगति लगे तो मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/निर्देश/आदेश ही मान्य होंगे।

अध्याय 2 प्रवेश प्रक्रिया

1. **एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश** – निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियमों **(संलग्न परिशिष्ट–2)** के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक **कमजोर वर्ग** एवं **अलाभप्रद समूह (संलग्न परिशिष्ट–3)** के बालकों को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश देना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा। एन्ट्री लेवल कक्षा के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम आदेश क्रमांकः प 21(19)प्राशि/आयो/2009 जयपुर, दिनांक 17.1.2014 के आधार पर कार्यवाही करनी होगी । जिसके अनुसार **" जो निजी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा की एन्ट्री कक्षा के साथ–साथ कक्षा 1 में भी सीधे प्रवेश दे रहे है, ऐसे निजी विद्यालयों को पूर्व प्राथमिक एवं कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बालकों की कुल संख्या का कम से कम 25% सीट्स पर पृथक–पृथक कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद समूह वर्ग वर्ग के बालकों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा" (संलग्न परिशिष्ट–4)** ।

2. **प्रवेश के लिए पात्रता** – आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता की शर्ते निम्न प्रकार होगी :–
   2.1 बालक गैर सरकारी शैक्षिक विद्यालय के परिक्षेत्र में निवास करने वाला हो। राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात् नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहॉ से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश देने पर विचार किया जायेगा। **किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।**
   2.2 बालक असुविधाग्रस्त समूह/कमजोर वर्ग से संबंधित हो। इन दोनों वर्गों के संदर्भ में राज्य सरकार दिनांक 29 मार्च 2011 को आवश्यक अधिसूचनाएं जारी कर चुकी है। अतः इन वर्गों के लिए अधिसूचित उपवर्गों के बालक ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
3. **प्रवेश के लिए आयु का निर्धारण**– एन्ट्री क्लास में बालक की आयु निम्नानुसार तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प द्वारा निर्धारित करनी होगी :–

   3.1 प्रथम विकल्प – आरटीई एक्ट के प्रावधानानुसार –

   अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष है तथा जो विद्यालय अपने यहॉ पूर्व प्राथमिक शिक्षा दे रहे है, उनमें निम्न व्यवस्था अनुसार, एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश के लिये आयु मान्य होगीः–

   - **वे विद्यालय जिनमें तीन वर्षीय पूर्व प्राथमिक शिक्षा है –**
     एन्ट्री लेवल कक्षा – आयु
     एल.के.जी/नर्सरी – 3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम
   - **वे विद्यालय जिनमें दो वर्षीय पूर्व प्राथमिक शिक्षा है –**
     एन्ट्री लेवल कक्षा – आयु
     यू.के.जी. – 4 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम
   - **वे विद्यालय जिनमें एक वर्षीय पूर्व प्राथमिक शिक्षा है –**
     एन्ट्री लेवल कक्षा – आयु
     प्रेप – 5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष से कम

नोट – 1.उपरोक्त व्यवस्था में एन्ट्री लेवल कक्षा के नाम जो दिये गये है वे विद्यालयों में भिन्न–भिन्न हो सकते है लेकिन प्रवेश के लिये आयु सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी।

2. बालक की आयु का निर्धारण विद्यालय में प्रवेश तिथि को आधार मानकर किया जाएगा।

3.2 द्वितीय विकल्प – यदि विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अथवा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सम्बद्व है और यदि सम्बन्धित बोर्ड द्वारा एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारित की गई है, तो विद्यालय एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश के लिए उक्त आयु के आधार पर प्रवेश दे सकेगा।

3.3 तृतीय विकल्प – मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक एफ नं01–8/2012 ई.ई.4 दिनांकः.4.6.2012 तथा स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक पं.21(19) प्राशि/आयो./2009 दि.25.6.2012 के अनुसार आयु के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्राप्त हुए है :–

With regard to the specific issue relating to admission in unaided private schools State Government may issue an advisory to the private schools to ensure that there is no disparity in the age for admission at the entry level between 25% children who have to be admitted in pursuance of section 12(1)(c) of the RTE Act the 75% other children admitted in that class. Schools need to follow a uniform entry age policy for all children without resorting to any discriminatory practices in terms of age admission.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अधिनियम के प्रावधानानुसार 25% सीटों एवं शेष 75% सीटों पर प्रवेश के लिए आयु के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जायेगा। इसके लिए निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारण की नीति (*entry age policy*) तैयार करनी होगी। आयु सीमा निर्धारण की नीति का विद्यालय द्वारा सभी स्तरों पर व्यापक प्रचार–प्रसार करना होगा तथा इसे विद्यालय की वेबसाईटस/प्रोसपेक्टस/नोटिस बोर्ड/विज्ञापन आदि के माध्यम से प्रचारित करना होगा।

3.4 प्रवेश के लिये आयु के सबूत के लिये दस्तावेज – राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 12 के अनुसार प्रवेश के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति मेंः–

(क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख

(ख) आँगनबाड़ी अभिलेख और

(ग) माता–पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा, मान्य होंगे।

4. प्रवेश का टाईम फ्रेम :

राज्य में गैर सरकारी विद्यालय सामान्यतया सत्र प्रारम्भ करने की दृष्टि से दो प्रकार के है। कुछ विद्यालयों का सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तथा कुछ विद्यालयों का सत्र राज्य सरकार के अनुसार 1 मई से 30 अप्रैल तक है। आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेशित बालकों के प्रवेश कार्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नप्रकार टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :–

क्र. सं.	विवरण/गतिविधि	1 अप्रेल से सत्र प्रारंभ करने वाले विद्यालयों के लिए	1 मई या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को सत्र प्रारम्भ करने वाले विद्यालयों के लिए	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	15 फरवरी तक	15 मार्च तक	संबंधित निजी विद्यालय
2	आवेदन पत्रों का वितरण	27 फरवरी तक	29 मार्च तक	संबंधित निजी विद्यालय
3	आवेदन पत्र प्राप्ति	28 फरवरी तक	30 मार्च तक	संबंधित निजी विद्यालय
4	आवेदन पत्रों की जांच एवं सही आवेदन पत्रों की वेब पोर्टल पर प्रविष्टी	15 मार्च तक	15 अप्रैल तक	संबंधित निजी विद्यालय
5	ऑन लाईन लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का प्राथमिकता क्रम निर्धारण	20 मार्च	21 अप्रैल	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
6	बालकों का विद्यालय में प्रवेश	21 मार्च से	22 अप्रैल से	संबंधित निजी विद्यालय
7	निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एन्ट्री	30 जून तक	31 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय

नोटः

1. क्र.सं. 1 पर अंकित गतिविधि **"विज्ञापन जारी करना"** के लिए संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों/स्वयं की वेब साईट/स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड,सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेश संबंधी जानकारी आम नागरिक तक पहुँच सकें ।
2. संबंधित विद्यालय/अधिकारी को उपरोक्त टाईम फ्रेम में गतिविधि के सामने अंकित तिथि के अनुसार कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न करना होगा।
3. जो विद्यालय इन निर्देशों के जारी होने से पूर्व निःशुल्क सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं, उनकी प्रवेश प्रक्रिया मान्य होगी। ऐसे विद्यालयों को केवल उपरोक्त टाईम फ्रेम के बिन्दु संख्या–7 के अनुसार प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एन्ट्री करनी होगी।
4. अपरिहार्य कारणों से राज्य सरकार उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन कर सकेगी।

5. आवेदन की प्रक्रिया :

5.1 सम्बन्धित विद्यालय में आवेदन की प्रक्रिया :

5.1.1 निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिये आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप **(सलंग्नक परिशिष्ट–5)** में होगा। कोई भी बालक या उसका अभिभावक इस आवेदन पत्र को जिस विद्यालय में वह प्रवेश लेना चाहता है, तो उस विद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित तिथियों में विद्यालय समय में **निःशुल्क** प्राप्त कर सकेगा । यदि अभिभावक चाहे तो वेब पोर्टल से भी आवेदन पत्र डाउन लोड कर सकता है।

5.1.2 विद्यालय द्वारा इन प्रवेश आवेदन पत्रों के वितरण का अभिलेख सम्बन्धित रजिस्टर में (आवेदन पत्र प्राप्ति पंजिका) दर्ज किया जायेगा।

5.1.3 भरे हुये आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज जैसे–जाति प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,बी.पी.एल. सूची,निवास संबंधी प्रमाण पत्र आदि जो आवेदक विशेष के प्रकरण में लागू हो, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये हुए हों, संलग्न कर विद्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करवाने होंगे।

5.2 ऑन लाईन आवेदन की प्रकिया :

5.2.1 यदि कोई गैर सरकारी विद्यालय किसी बालक को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए आवेदन पत्र देने से इन्कार करता है या आनाकानी करता है या भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करने से इन्कार करता है तो ऐसा अभिभावक सीधा आरटीई वेब पोर्टल **dee.raj.nic.** पर ऑन लाइन आवेदन कर सकेगा।

5.2.2 इसके लिए उसे इच्छित विद्यालय के संबंध में जिला,ब्लॉक व विद्यालय जहां स्थित है, उस स्थान का नाम तथा विद्यालय का नाम वेब पोर्टल पर चयन करने पर उस विद्यालय विशेष का होम पेज खुल जायेगा।

5.2.3 विद्यालय के होम पेज पर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए आवेदन पत्र पर क्लिक करने पर आवेदन पत्र खुल जायेगा जिसमें वांछित सूचनाएं भरकर सबमिट करने पर वह आवेदन पत्र उस विद्यालय की सूची में चला जायेगा।

5.2.4 इस आवेदन पत्र की हार्ड कापी निकालकर अभिभावक द्वारा इसके साथ प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर उस विद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कराया जा सकेगा या रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवाया जा सकेगा। सम्भाग मुख्यालय के लिए यदि अभिभावक चाहे तो आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी दस्तावेज संलग्न कर बिन्दु सं0 10 के अनुसार संभाग स्तर पर, प्रवेश कार्य की मॉनिटरिंग हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष (उप निदेशक प्रा.शि.) को भी प्रस्तुत कर सकता है।

5.3 निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र मय आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बालक प्रवेश के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।

6. आवेदन पत्रों की जॉच :

6.1 विद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार दोनों प्रकार से प्राप्त आवेदन पत्रों की सावधानीपूर्वक जॉच की जायेगी। उपरोक्त दोनों माध्यमों से प्राप्त आवेदन पत्र एक पंजिका में संधारित किये जायेंगे तथा इन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जायेगी। दस्तावेजों की वैधता के संबंध में स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है। आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की चैक लिस्ट निम्नप्रकार है :–

- आयु संबंधी दस्तावेज/सपथ पत्र
- निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र
- जाति संबंधी प्रमाण पत्र
- विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र
- आय संबंधी प्रमाण पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र

6.2 अपूर्ण आवेदन पत्रों अथवा यदि गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर निजी विद्यालय द्वारा बालकों को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिये चयन कर प्रवेश दिया जाता है तो ऐसे प्रवेशित बालकों के संबंध में उस विद्यालय को पुर्नभरण नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय उन बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

7. वेब पोर्टल पर डेटा एन्ट्री :

जांच के पश्चात सही पाये गये आवेदन पत्रों की निर्धारित प्रारूप में वेब पोर्टल पर डेटा एन्ट्री की जायेगी। संबंधित विद्यालय इस डेटा एन्ट्री में विशेष सावधानी रखेंगे। छात्रों/माता पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्म तिथि स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करेंगें। **इस प्रविष्टी में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेश प्रकिया में बाधक बन सकती है, जिसका दायित्व संबंधित गैर सरकारी विद्यालय का ही होगा।**

8. लॉटरी प्रकिया :–

8.1 उपरोक्त प्रकिया के माध्यम से वेब पोर्टल पर प्रविष्ट की गई बालकों की सूची का प्रवेश हेतु प्राथमिकता क्रम सॉफटवेयर द्वारा रेण्डम विधि से स्वतः ही निर्धारित तिथि को एनआईसी. द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

8.2 यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्राथमिकता क्रम की सूची में विद्यालय में निःशुल्क सीटों पर आवेदन करने वाले सभी बालकों के नाम सम्मिलित है। **अतः इसे प्रवेश के लिए चयन सूची नहीं माना जावें।**

8.3 इस सूची का उपयोग शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों के साथ सम्मिलित कर निम्नानुसार निर्धारित रोस्टर प्रकिया में किया जाएगा। वास्तविक चयन के लिए रोस्टर के आधार पर तैयार की गई सूची ही मान्य होगी। इस सूची को अपनी वेबसाईट/नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे एवं सभी अभिभावकों को इसकी सूचना प्रेषित की जाएगी।

8.4 इस प्रकार अन्तिम रूप से प्रवेशित बालकों (शेष 75 प्रतिशत बालकों सहित) की सूची की विद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक वेब पोर्टल पर एन्ट्री की जाएगी।

9. प्रवेश के लिए रोस्टर प्रकिया :–

सॉफ्टवेयर द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालकों की प्राथमिकता सूची एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रविष्ट बालकों की सूची को निम्नांकित रोस्टर के आधार पर तैयार किया जायेगा :–

1.निःशुल्क प्रवेश	11.सामान्य प्रवेश	**21.निःशुल्क प्रवेश**	31.सामान्य प्रवेश
2.सामान्य प्रवेश	12.सामान्य प्रवेश	22.सामान्य प्रवेश	32.सामान्य प्रवेश
3.सामान्य प्रवेश	**13.निःशुल्क प्रवेश**	23.सामान्य प्रवेश	**33.निःशुल्क प्रवेश**
4.सामान्य प्रवेश	14.सामान्य प्रवेश	24.सामान्य प्रवेश	34.सामान्य प्रवेश
5. निःशुल्क प्रवेश	15.सामान्य प्रवेश	**25. निःशुल्क प्रवेश**	35.सामान्य प्रवेश
6.सामान्य प्रवेश	16.सामान्य प्रवेश	26.सामान्य प्रवेश	36.सामान्य प्रवेश
7.सामान्य प्रवेश	**17.निःशुल्क प्रवेश**	27.सामान्य प्रवेश	**37.निःशुल्क प्रवेश**
8.सामान्य प्रवेश	18.सामान्य प्रवेश	28.सामान्य प्रवेश	38.सामान्य प्रवेश
9.निःशुल्क प्रवेश	19.सामान्य प्रवेश	**29.निःशुल्क प्रवेश**	39.सामान्य प्रवेश
10.सामान्य प्रवेश	20.सामान्य प्रवेश	30.सामान्य प्रवेश	40.सामान्य प्रवेश

कुल निःशुल्क प्रवेश– 10 **सामान्य प्रवेश – 30**

- उपरोक्त रोस्टर एन्ट्री कक्षा के लिए में 40 बालकों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। संख्या अधिक होने पर यहीं प्रकिया निरन्तर जारी रहेगी।
- 40 से कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिन्दु तक प्रवेश होंगे वहां तक निःशुल्क प्रवेशित एवं सामान्य प्रवेशित बालकों की संख्या का निर्धारण होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो उनमें से 5 निःशुल्क प्रवेशित तथा 13 सामान्य प्रवेशित बालक होंगे।
- प्रवेश प्रकिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण **परिशिष्ट– 6** पर सलंग्न है।

10. संभाग मुख्यालय पर प्रवेश कार्य की मॉनिटरिंग :

10.1 सम्भाग मुख्यालयों पर सम्भागीय मुख्यालय के निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश की मॉनिटरिंग का कार्य निम्न समिति करेगी :–

1. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा – अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा(संभाग के जिले के) – सदस्य
3. सम्बन्धित विद्यालय का संस्था प्रधान – सदस्य
4. सम्भाग मुख्यालय का NIC प्रतिनिधि – सदस्य
5. सम्भाग मुख्यालय का जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव

10.2यह समिति निम्नांकित कार्य करेगी :–

1. यदि कोई अभिभावक प्रवेश आवेदन की हार्ड कॉपी अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है तो यह समिति आवेदन की प्रति समय पर सम्बन्धित विद्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगी।
2. अभिभावकों/सत्यापन दलो से प्रवेश या सत्यापन सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करेगी, इसके लिए सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनवायी का अवसर दिया जाकर निर्णय करेगी तथा निर्णय से शिकायतकर्ता को अवगत करायेगी।

अध्याय 3 सत्यापन प्रकिया

11. गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई एक्ट के अनुसार निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के भौतिक सत्यापन प्रकिया :

11.1 सत्यापन दलों का गठन :

11.1.1 जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अपने–अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों की संख्या के आधार पर सत्यापन दलों का गठन करेंगे।

11.1.2 एक सत्यापन दल को सामान्यतया 8–10 विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा। आवंटन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि गत सत्र में गठित सत्यापन दलों की यथावत पुनरावृति नही हो तथा उनको आवंटित विद्यालय भी परिवर्तित हो जाये।

11.1.3 सत्यापन दल का अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी होगा तथा एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर व्याख्याता/व.अ./लिपिक वर्ग/अध्यापक प्रारम्भिक शिक्षा से लिए जाएंगे।

11.1.4 प्रारम्भिक शिक्षा में पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में दलों के अध्यक्ष के रूप में माध्यमिक शिक्षा से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक लिए जा सकेगें।

11.1.5 शेष एक सदस्य प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय/अध्यापक में से लिया जायेगा।

11.1.6 दलों के गठन में यह ध्यान रखा जायगा कि उन्हीं विद्यालयों से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक सत्यापन दलों में लगाये जाएं जिनमें शिक्षक पर्याप्त संख्या में पदस्थापित हैं, जिससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

11.2 विशेष सत्यापन दलः–

11.2.1 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा अपने अधीन विद्यालयों के सेम्पल सत्यापन के लिए आवश्यकतानुसार विशेषदलों का गठन करेगें।

11.2.2 यह विशेष दल जिले में विद्यालयों की संख्या का एक प्रतिशत अथवा 20 विद्यालय, जो भी अधिक हो, का सत्यापन करायेंगे तथा मूल सत्यापन से भिन्नता पाये जाने पर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

11.3 सत्यापन दलों का प्रशिक्षण :

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक/ब्लॉक प्रारभिक शिक्षा अधिकारी सत्यापन दलों को सत्यापन से पूर्व राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी पूर्व दिशा निर्देशों तथा समय–समय पर जारी अन्य आदेश/निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11.4 बीईईओ/डीईओ(मा.) द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

बीईईओ/डीईओ (मा..) अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित विद्यालयों की, उनके विद्यालयों द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालकों की जो सूची आरटीई के पोर्टल पर अपलोड की गयी है, उसकी विद्यालयवार दो–दो प्रतियां निकालकर सत्यापन दलों को दी जायेगी तथा सत्यापन संबंधित निर्देशों की प्रति एवं निरीक्षण प्रपत्र भी दिये जायेंगे।

11.5 सत्यापन दल द्वारा किये जाने वाले कार्य :

11.5.1 सत्यापन दलों द्वारा इन सूचियों के आधार पर विद्यालय में उपस्थित होकर बालकों का भौतिक सत्यापन एवं निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त निःशुल्क रिकॉर्ड का अवलोकन कर पुनर्भरण योग्य पाये गये बालकों की सूची मय अनुशंषा निरीक्षण प्रपत्र में करेंगे।

11.5.2 जिन बालकों के प्रवेश पुनर्भरण योग्य नहीं पाये जावें, उनकी भी सूची मय कारण निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेंगे।

11.5.3 सत्यापन दल विद्यालय के अभिलेख की सावधानीपूर्वक जॉच कर विद्यालय द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेंगे। फीस के सत्यापन के लिए विद्यालय के अभिलेख के साथ–साथ यदि आवश्यक हो तो बालकों एवं अभिभावकों से बात की जाकर पुष्टि कर ली जावें।

11.5.4 सत्यापन दल निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जॉच करेंगे। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक ड्राप–आउट पाया जाए तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे।

11.5.5 गत वर्षों में विद्यालय को किन्हीं कारणों से हुए अधिक भुगतान तथा विद्यालय को निःशुल्क/रियायती दरों पर आंवटित भूमि/भवन/उपस्कर आदि के आदेश में अंकित बालकों की संख्या के आधार पर बनने वाली प्रतिपूर्ति की राशि जिसका पुनर्भरण प्राप्त करने का विद्यालय हकदार नहीं है, के समायोजन की राशि का आकलन कर उक्त राशि के समायोजन की भी स्पष्ट अनुशंषा करेंगे।

11.5.6 सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही संबंधित संस्था प्रधान/प्रभारी को प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा दूसरी प्रति संबंधित बीईईओ/डीईओ(मा.शि.) कार्यालय में जमा करवाई जाएगी।

11.5.7 सत्यापन दल के द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सत्यापन रिपोर्ट गैर सरकारी विद्यालय द्वारा आरटीई के वेब पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड की जाएगी।

11.5.8 संबंधित बीईईओ/डीईओ माध्यमिक कार्यालय द्वारा सत्यापन दल से प्राप्त प्रतिवेदन का मिलान कर पोर्टल पर **सही पाया गया/सही नहीं पाया गया** को क्लिक किया जाएगा।

11.5.9 कार्यालय स्तर पर **सही पाया गया** क्लिक करने की स्थिति में विद्यालय अपना ऑन लाईन क्लेम बिल निर्धारित प्रपत्र में जनरेट कर सकेगा परन्तु कार्यालय स्तर पर **सही नहीं पाया गया** क्लिक करने की स्थिति में रिपोर्ट पुनः स्कुल लॉगिन में पीले अक्षरों में चमकने लगेगी जिसे विद्यालय द्वारा पुनः ठीक किया जाएगा और कार्यालय स्तर पर उसे पुनः मिलान कर सही पाया गया क्लिक किया जाएगा तभी विद्यालय अपना क्लेम बिल पोर्टल पर जनरेट कर सकेगा।

नोटः उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया में आवश्यकता पडने पर निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा तथा एनआईसी द्वारा यथासमय वांछित निर्देश दिये जा सकेंगे।

अध्याय 4 पुनर्भरण प्रक्रिया

12. पुनर्भरण प्रक्रिया :

12.1 सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने पर विद्यालय द्वारा वेब पोर्टल पर पुनर्भरण बिल जनरेट किया जाएगा तथा इस पर विद्यालय के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। इस बिल की दो हार्ड कापी संबंधित बीईईओ/डीईओ माध्यमिक कार्यालय में जमा करानी होंगी।

1.2.2 विद्यालय क्लेम बिल जनरेट करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि उसे निःशुल्क भूमि/भवन/उपस्कर आदि में से कुछ आवंटन निःशुल्क/रियायती दरों पर प्राप्त है तो ऐसे निःशुल्क /रियायती दरों पर आवंटन के आदेश में विद्यालय जितने बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की शर्त अध्यधीन है, उसे उतने बालकों के संबंध में प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। अतः मांग की राशि में से उक्त बालकों की संख्या के आधार पर बनने वाली प्रतिपूर्ति की राशि को घटाकर शुद्व मांग की जायेगी।

1.2.3 बीईईओ/डीईओ माध्यमिक कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त क्लेम बिल के आधार पर निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बजट आवंटन एवं विद्यालय के बैंक खातों में पुनर्भरण राशि के हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाएगी।

1.2.4 **उपयोगिता प्रमाण पत्र** :– पुनर्भरण की राशि जैसे ही गैर सरकारी विद्यालय के संस्था के नाम से खाता संख्या में जमा हो जाती है। उसके तुरन्त बाद उसे सॉफटवेयर पर ऑनलाइन उपयोगिता प्रपत्र अपलोड करना होगा । ब्लॉक प्रारभिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों के यू.सी. समेकित कर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) के माध्यम से निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगें।

अध्याय 5 : गैर सरकारी विद्यालयों को मान्यता देना/मान्यता वापिस लेना

13.1 राज्य में अधिनियम 2009 लागू होने से पूर्व निजी शिक्षण संस्थाएं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 के अधीन संचालित थे। इन नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार पूर्व में प्राथमिक विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहे थे।

13.2.1 अधिनियम 2009 एवं राज्य नियम 2011 लागू होने पर उपरोक्त नियम 1993 में आवश्यक संशोधन जून, 2011 में अधिसूचित किये जा चुके है।

13.2.2 अब कोई भी गैर सरकारी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं होगा। यदि पूर्व से कोई विद्यालय बिना मान्यता के चल रहा है तो उसे भी अब मान्यता लेनी होगी।

13.2.3 प्रतिवर्ष राज्य सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए मान्यता का कार्यक्रम प्रसारित करती है। उसी के अनुसार नवीन मान्यता/विद्यालय क्रमोन्नति के लिए आवेदन करना होगा।

13.2.4 अब विद्यालयों को मान्यता अधिनियम 2009 की अनुसूची में उल्लेखित मान एवं मानको (Norms and Standards) के पूरा करने पर ही दी जा सकेगी। इससे स्पष्ट है कि अब मान्यता लिये जाने से पूर्व विद्यालय का निरीक्षण होगा।

13.3 मान्यता देने एवं मान्यता वापिस लेने की प्रक्रिया राज्य नियम 14 एवं 15 सपठित राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 में जारी संशोधन 8 ए एवं 8 बी के अनुसार होगी।

13.4 अधिनियम 2009 लागू होने से पूर्व मान्यता प्राप्त (स्थायी अथवा अस्थायी) विद्यालयों को विभागीय निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में स्व घोषणा आरटीई के अन्तर्गत मान्यता प्रदान करने के लिए अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। स्वघोषणा प्रस्तुत करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम 2009 की अनुसूची में वर्णित मान एवं मानकों के संदर्भ में स्वघोषणा का परीक्षण करवाया जायेगा। जो विद्यालय मान एवं मानकों के आधार पर सही पाये जायेंगे उन्हें इस आशय का पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया जायेगा।

13.5 जो विद्यालय अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 का उल्लघंन करता पाया जायेगा उस पर अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं में उल्लेखित शास्ति कानूनी प्रक्रिया अपना कर अधिरोपित की जायेगी।

परिशिष्ट – 1

आदेश/परिपत्रों का सारांश (संदर्भित अध्याय 1)

- **विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों का प्रवेश –** विकलांगता से ग्रसित बालक–बालिकाओं को अधिनियम के प्रावधानानुसार अनिवार्यतः विद्यालय में प्रवेश दिया जाकर उनके लिए समुचित शैक्षणिक, वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने संबंधी आदेश दि.12.9.2011 को जारी किये गये।

- **अनाथ आश्रम में रहने वाले बालकों का प्रवेश –** राज्य सरकार द्वारा आश्रम केयर/अनाथ आश्रम में निवास कर रहे बालकों के लिए अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रवेश के लिये प्रमाण पत्रों की उपलब्धता हेतु सरलीकृत व्यवस्था दी है, साथ ही यदि ऐसे बालकों का प्रवेश निजी विद्यालय की 25 प्रतिशत सीटों पर सामान्य लॉटरी प्रक्रिया से नहीं होता है तो इन बालकों को सामान्य प्रवेश प्रक्रिया से अलग हटकर अतिरक्त सीटों का आवंटन मानते हुए विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा (आदेश दि.4.6.2012)।

- **विद्यालयों द्वारा बालकों से लिये जा रहे शुल्क के स्थान पर अनुदान/दान/चंदा/सहयोग के नाम से रसीदे काटना :–**

  25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट अथवा विद्यालय द्वारा बालकों से ली जाने वाली फीस, जो भी कम हो का किया जाता है। अतः यदि विद्यालयों द्वारा अभिभावकों/बालकों से अनुदान/दान/चंदा/सहयोग आदि लिये जा रहे है तो यह राशि पुनर्भरण के योग्य नहीं मानी जायेगी। यहॉ यह भी निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2012–13 में प्रवेशित बालक सत्र 2013–14 के लिये निःशुल्क सीटों एवं फीस के पुर्नरण के पात्र होंगे बशर्ते कि विद्यालय 2013–14 में अन्य बालक (75 प्रतिशत बालकों से) फीस वसूल करें तथा फीस के रूप में ही रसीद जारी करें। (निर्देश दि.4.2.2013)

- **25 प्रतिशत सीटों पर लिये गये प्रवेश का सत्यापन :–** 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश का कार्य प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक गैर सरकारी संस्थाओं के मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक गैर सरकारी संस्थाओं के मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा अपने–अपने क्षेत्राधिकार में संपन्न किया जाएगा। (परिपत्र दि.19.10.2012)

- **प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रवेश देना :–**यदि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 25 प्रतिशत सीटों के विरूद्व प्रवेश देना चाहें तो ऐसा करना निजी विद्यालयों में अधिनियम के अनुसार विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण बालकों के शैक्षिक स्तर की दृष्टि से उचित नहीं होगा। इस प्रकार प्रवेश किये गये बालक अन्य छात्रों से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ जाएंगे तथा उनके ड्राप आउट होने की संभावना बढ़ जाएगी। अतः विद्यालयों को इस बात के लिए पाबन्द किया जाए कि नियमित प्रवेश के समय पूर्ण प्रयास कर 25 प्रतिशत सीटों पर पात्र बालकों को ही प्रवेश देवें। (परिपत्र दि.19.10.2012)

- **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009** के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में प्रवेश के लिए कक्षा प्रथम अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रथम कक्षा चाहे वह किसी भी नाम से संचालित हो, मान्य होगी। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अधिकतम अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। पूर्व प्राथमिक कक्षा की स्थिति में बालक की न्यूनतम आयु 3 वर्ष की होगी। कुछ विद्यालय **प्ले ग्रुप** भी संचालित कर रहे है **लेकिन प्ले ग्रुप निःशुल्क प्रवेश के लिए मान्य नहीं होगा।** (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)

- **अभिभावकों द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालकों के विद्यालय परिवर्तन के सम्बन्ध में :–**

यदि कोई अभिभावक स्वेच्छा से अपने बालक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरित करना चाहता है तो विद्यालय परिवर्तन होते ही वह बालक फीस के पुनर्भरण का पात्र नहीं माना जावेगा। (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)

- **अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र लिया जाना :–**

निःशुल्क प्रवेश के लिए असुविधाग्रस्त समूह एवं कमजोर वर्ग में सम्मिलित किये गये बालकों की एक श्रेणी अभिभावकों की वार्षिक आय (वर्तमान में रूपये 2.5 लाख से कम) के आधार पर निर्धारित की हुई है। आय के आधार पर प्रवेशित बालकों के अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय का प्रमाण पत्र लेना होगा तथा उस आय के आधार पर ही फीस के पुनर्भरण की पात्रता पर विचार किया जाएगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान निर्देशों में आय प्रमाण पत्र के लिए अभिभावक द्वारा दो उत्तरदायी व्यक्तियों की साक्षी में दिया गया शपथ पत्र जो नोटेरी पब्लिक/कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हो, मान्य होगा। यह शपथ पत्र बालक के प्रवेश दिये जाने वाले दिनांक के पूर्व के वित्तीय वर्ष (1अप्रैल से 31 मार्च) की आय के संबंध में होगा। इस शपथ पत्र के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 के अन्तर्गत ''असुविधाग्रस्त समूह'' एवं ''कमजोर वर्ग'' के बालकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। (परिपत्र दि.19.10.2012 एवं दि. 30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)

- **निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेशित बालकों की पाठ्यपुस्तकों के संबंध में:–**

राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक निर्धारित व्यय (यूनिट कॉस्ट) में पाठ्यपुस्तकों की कीमत सम्मिलित की गई है। अतः सम्बन्धित पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों को पाठ्यपुस्तकें विद्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)

- **निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में :–**

निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ अभिभावक को निवास स्थान का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है, जिसके लिये प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र का उल्लेख है। बालक के निवास के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित शहरी नगर निकाय द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वीकार कर लिया जावे। (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश) बालक निवास के संबंध में वैधानिक दस्तावेज के रूप में परिवार का राशनकार्ड/आधार कार्ड/वोटर आईडी को भी मान्य किया जा सकता है।

परिशिष्ट– 2
अधिनियम/नियम संबंधी प्रावधान (संदर्भित पेरा–1)

- गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क प्रवेश के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 12 एवं 13 तथा राज्य नियमों के नियम 10, 11 में प्रावधान किये गये है। ये प्रावधान निम्नानुसार है :–

1- The provisions for admission of children belonging to **weaker sections** and **disadvantaged groups** are given in section 12 of RtE Act. The section 12 is stated as under :

Section 12 – (*1) For the purposes of this Act, a school –*

(a) Specified in sub-clause (i) of clause (n) of section 2 shall provide free and compulsory elementary education to all children admitted therein;

(b) Specified in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 shall provide free and compulsory elementary education to such proportion of children admitted therein as its annual recurring and or grants so received bears to its annual recurring expenses, subject to a minimum of twenty five per cent.

(c) Specified in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall admit in class 1 to the extent of a least twenty five percent of the strength of that class children belonging to weaker section and disadvantaged group in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion:

Provided further that where a school specified in clause (n) of section 2 imparts pre-school education, the provisions of clause (a) to (c) shall apply for admission to such pre-school education.

(2) The school specified in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2 providing free and compulsory elementary as specified in clause (c) of sub-section (1) shall be reimbursed expenditure so incurred by it to the extent of pre-child expenditure incurred by the State, or the actual amount charged from the child, whichever is less, in such manner as may be prescribed.

Provided that such reimbursement shall not exceed per child expenditure incurred by a school specified in sub-clause (i) of clause (n) of section 2 :

Provided further that where such school is already under obligation to provide free education to a specified number of children on account of it having received any land, building, equipment or other facilities either free of cost or at a concessional rate, such school shall not be entitled for reimbursement to the extent of such obligation.

(3) Every school shall provide such information as may be required by the appropriate Government or the local authority, as the case may be.

2- Steps taken by State Government –

- As per the spirit of section 12 of RtE Act. the State Government made the following provisions in State Rules notified on 29th March 2011 as –

Rule 10 - Admission *of children belonging to weaker section and disadvantaged*

group – (1) The school referred to in sub-clause (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall not be segregated from the other children in the classrooms nor shall their classes be held at places and timings different from the classes held for the other children.

(2) The school referred to in sub-clause (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in accordance with clause (c) of sub-section (1)of section 12 shall not be discriminated from the rest of the children in any manner pertaining to entitlements and facilities such as text books, uniforms, library and Information, Communication and Technology (ICT) facilities, co-curricular activities and sports.

(3) The area or limits of neighborhood for the purposes of admissions to be made in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12shall be the geographical limits of the concerned Gram Panchayat / Nagar Palika / Nagar Parishad / Nagar Nigam, as the case may be, within which the School is situated;

Provided that if the number of applicants for admission in a particular School is more than the number of seats for children belonging to weaker section and disadvantaged group, preference shall be given to the children from the village / municipal ward in which the school is situated.

(4) The admission of children in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall be done by draw of lots or in accordance with the directions issued by the State Government from time to time.

(5) No School or person shall, while admitting the child, collect any capitation fee and subject the child or his/her parent/guardian to any screening procedure.

(6) In case of schools which have been set up exclusively for boys or girls, the admissions in accordance with clause (b) and (c) of sub-section (1) of section 12 shall be granted to only boys or girls, as the case may be.

(7) Class wise names of the students admitted in the aided and unaided private schools and the specified schools under section 12 shall be displayed at a prominent place / notice board in the school. If the school has a website, the names shall also be displayed on the website of the school.

Rule 11- Reimbursement of per-child expenditure by the State Government –

(1) The total annual recurring expenditure incurred by the State Government, from its own funds, and funds provided by the Central Government, and by any other authority, on elementary education in respect of all Schools referred to in sub-clause (i) of clause (n) of section 2 divided by the total number of children enrolled in all such schools, shall be the per child expenditure incurred by the State Government.

Explanation : For the purpose of determining the per-child expenditure, the expenditure incurred by the State Government or Local Authority on schools referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 and the children enrolled in such schools shall not be included.

(2) Every school referred to in sub clause (iii) and (iv) of clause (n) of section 2shall maintain a separate bank account in respect of the amount received by it as reimbursement under sub-section (2) of section 12

(3) The per child expenditure incurred by the State shall be calculated every year by a state level committee to be constituted by the State Government. The Additional Chief Secretary / Principal Secretary. Finance Department or his representative not below the rank of Secretary shall be a member of this committee. One representative of the private unaided educational institutions shall be nominated as a member of this committee by the State Government. The Committee shall meet within three months after the coming in force of these rules and, thereafter, every year in the month of May to assess the per child expenditure for the purposes of reimbursement of expenditure during the next academic year.

(4) Director, Elementary Education shall communicate the decision of the committee to all the District Elementary Education Officers for reimbursement of fee in respect of children admitted in accordance with clause (c) of sub-section (1) of section 12 in the Schools referred to in sub-clause (iii)and (iv) of clause (n) of section 2.

(5) The reimbursement will be made directly to the school twice a year. The first reimbursement for the period from April to August will be made in the month of October and the final reimbursement for the period from September to the end of the academic session will be made by the end of June.

(6) Each school specified to in sub-clause (iii)and (iv) of clause (n) of section 2 claiming reimbursement of per child expenditure in respect of the children belonging to weaker section and disadvantaged group shall submit its claim to the concerned Block Elementary Education Officer in form specified by the State Government along with a list of the children belonging to weaker section and disadvantaged group admitted in the school. The claim shall be submitted in the months of August and April every year.

(7) The Block Elementary Education Officer may verify or cause to verify the enrolment of the children before making the final reimbursement.

उक्त प्रावधानों को समझने की दृष्टि से निम्नप्रकार उल्लेखित किया जा सकता है :–

- अधिनियम 2009 धारा 12 के अनुसार गैर सरकारी विद्यालय अपनी एन्ट्रीलेवल की कक्षा(कक्षा–1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा जैसी भी स्थिति हो), में दाखिल किये जाने वाले बालकों की कुल संख्या की 25 प्रतिशत सीमा तक दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देंगे। राज्य सरकार द्वारा इन निःशुल्क प्रेवेशित बच्चों की फीस की राशि का पुनर्भरण किया जायेगा जो कि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा बालकों से प्रभारित वास्तविक राशि या राज्य सरकार द्वारा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति बालक व्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक किया जायेगा।

- गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेशित बालकों के लिए राज्य नियमों में कैचमेन्ट एरिया परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार किये गये प्रवेशों के प्रयोाजनों के लिए कैचमेन्ट एरिया संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद/ नगर निगम जैसी भी स्थिति हो, की भौगोलिक सीमाएं होंगीः–

  परन्तु यदि किसी विद्यालय विशेष में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के लिए स्थानों की संख्या से अधिक हो तो वरीयता उस गांव/नगर पालिका वार्ड, जिसमें ऐसा विद्यालय स्थित है, के बालकों को दी जायेगी।

- गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालक–बाालिकाओं को न तो कक्षाओं में अन्य बालक–बालिकाओं से पृथक किया जायेगा और न ही उनकी कक्षाऐं अन्य बालकों के लिये आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समयों पर आयोजित की जायेगी। (धारा–30 एवं राज्य नियम 10)

- कोई भी विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक/बाालिका/अभिभावक को प्रवेश हेतु किसी प्रकार की अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा तथा कैपीटीशन फीस नहीं लेगा। (धारा–13)

- किसी विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा तथा विद्यालय से प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण किये जाने तक निष्कासित नहीं किया जायेगा। (धारा–16)

- किसी बालक–बाालिका को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन नहीं दिया जायेगा। (धारा–17)

- बालकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बालक–बालिकाओं के अधिकारों का सरंक्षण करेगा। (धारा–31)

- यदि कोई व्यक्ति को अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, तो वह अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकता है।(धारा–32)

- अधिनियम 2009, राज्य नियम 2011 एवं निजी शिक्षण संस्था नियम 1993 के अनुसार राज्य में अब कोई भी गैर सरकारी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं होगा। 01 अप्रैल, 2010 के बाद दी जाने वाली विद्यालयी मान्यता अधिनियम के प्रावधानानुसार ही दी जायेगी।

परिशिष्ट – 3.

अधिसूचनाएँ (संदर्भित पेरा–1)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

School Education Department

F.21(19)Edu.-1/E.E./2009 *Jaipur, the 29th March, 2011*

NOTIFICATION

In pursuance of clause(e) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, (Central Act No.35 of 2009) the State Government hereby specifies the child belonging to the following categories as" child belonging to weaker section" namely :-

a) A child whose parents' are included in the list of Below Poverty Line families (both Central and State lists) prepared by the Rural Development Department /Urban Development Department of the State Government and

b) A child whose parents annual income does not exceed Rs.2.50 lacs.

By Order of the Governor,

Sd/-

(Ashok Sampatram)

Principal Secretary to Govt.

- राज्य सरकार द्वारा असुविधाग्रस्त समूह के बालक–बालिकाओं के निर्धारण संबंधी अधिसूचना दि. 29.3.2011 को निम्नानुसार अधिसूचित की गईः–

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

School Education Department

F.21(19)Edu.-1/E.E./2009 Jaipur, the 29th March, 2011

NOTIFICATION

In pursuance of clause(d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No.35 of 2009), the State Government hereby specifies the child belonging to the following categories a "child belonging to disadvantaged group" namely :-

a) The Scheduled castes

b) The Scheduled Tribes

c) Other Backward classes and Special backward classes where parents' annual income does not exceed Rs.2.50 lacs, and

d) A child covered under the definition of person with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

By Order of the Governor,

Sd/-

(Ashok Sampatram)

Principal Secretary to Govt.

- अधिनियम की धारा 13(2), धारा 18(5), धारा 19 (5) के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया है। (धारा–36) एवं अधिसूचना दिनांक 7 सितम्बर, 2012

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 7, 2012

एस.ओ. 133:– *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उप अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (2), धारा 18 की उप–धारा (5) और धारा 19 की उप–धारा (5) के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।*

संख्याः एफ21(19)ऐजु–1/ई.ई./09/
राज्यपाल की आज्ञा से
आर.सी. ढेनवाल,
उप शासन सचिव,

- आरटीई अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम,1993 में आवश्यक संशोधन संबंधी सूचना 20.6.2011 को जारी की गयी है। इस अधिसूचना के अनुसार नियम 1993 में विद्यालयों को मान्यता देने के लिये नियम 8 ए एवं मान्यता वापस लेने के लिये नियम 8 बी जोड़ा गया है।

परिशिष्ट – 5

प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप **(संदर्भित पेरा–5.1.1)**

.....

(विद्यालय का नाम)

प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग/असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के प्रवेश हेतु

आवेदन–पत्र

(भाग–अ)

1. प्रवेशार्थी बालक का नाम .....
2. माता/पिता/संरक्षक का नाम .....

   जाति ..... धर्म .....
3. प्रवेशार्थी की जन्म तिथि .....
4. प्रवेशार्थी का वर्ग – दुर्बल वर्ग/असुविधाग्रस्त समूह
5. माता/पिता/संरक्षक का व्यवसाय .....
6. माता/पिता/संरक्षक की वार्षिक आय .....
7. माता/पिता/संरक्षक का स्थायी पता/निवास स्थान .....

   .....
8. संरक्षक की स्थिति में प्रवेशार्थी से संबंध .....
9. बीपीएल सूची (राज्य/केन्द्र) में नाम हो तो विवरण .....
10. विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का विवरण .....

नोट : जाति, निवास स्थान, वार्षिक आय, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(भाग–ब)

माता/पिता/संरक्षक द्वारा सशपथ घोषणा

1. मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूं कि भाग अ में प्रवेशार्थी के संबंध में दी गई समस्त सूचनाऐं सही हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि विद्यालय के नियमों/उप नियमों का सदैव पालन करूंगा/करूंगी।

प्रस्तुत करने का दिनांक : ..... हस्ताक्षर

(माता/पिता/संरक्षक)

(भाग–स)

(विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्ती की रसीद)

प्रवेशार्थी का नाम ..... पुत्र/पुत्री श्री .... का आवेदन पत्र रजिस्टर में ..... क्रम संख्या पर दर्ज कर लिया गया है।

दिनांक : ..... हस्ताक्षर

(संस्था प्रधान/अधिकृत शिक्षक)

परिशिष्ट – 6

प्रवेश प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण (संदर्भित पैरा 9)

उदाहरण 1: एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से संबंधित है तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांवों और ढाणियों से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :–

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में सीटों की संख्या = 40
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीटों की संख्या = 10
3. ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र = 50
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त आवेदन = 30
5. ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त आवेदन = 20

उपरोक्त विवरण के आधार पर लॉटरी के लिये पात्र आवेदन 30 माने जायेंगे तथा लॉटरी द्वारा इन 30 में से ही 10 बालकों के विरूद्व 20 बालकों की वरीयता सूची बनाई जायेगी, जिसके आधार पर प्रथम सूची में 10 बालकों को रोस्टर से प्रवेश दिया जायेगा। किन्हीं कारणों से छात्रों के अनुपस्थित रहने पर वांछित संख्या में उपरोक्त सूची में से ही बालकों को वरीयता क्रम में प्रवेश के लिए चिन्हित किया जाएगा। क्योंकि नियमों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार विद्यालय से संबंधित गांव के छात्रों को प्राथमिकता देनी है। अतः अन्य गांवों/ढाणियों से प्रात 20 आवेदन पत्र लॉटरी के लिए पात्र नहीं है।

यही उदाहरण शहरी क्षेत्र के विद्यालय पर भी समान रूप से लागू होगा।

उदाहरण– 2 : एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से संबंधित है तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांवों और ढाणियों से संबंधित है। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :–

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में सीटों की संख्या = 60
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीटों की संख्या = 15
3. ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र = 80
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से विद्यालय से संबंधित गांव से प्राप्त आवेदन = 10
5. ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त आवेदन = 70

   उपरोक्त विवरण के आधार पर पहले विद्यालय से संबंधित गांव से प्राप्त समस्त 10 बालकों को निर्धारित सीटों की संख्या 15 के विरूद्व चयनित कर लॉटरी से इनकी वरीयता सूची तैयार की जायेगी शेष रही 5 सीटों पर प्रवेश के लिये विद्यालय से संबंधित गांव के अतिरिक्त अन्य गांव/ढाणी के 70 आवेदनकों को लॉटरी के योग्य घोषित किया जायेगा तथा इन 70 में से लॉटरी द्वारा 5 सीटों को भरा जायेगा और इन 5 बालकों को उपरोक्त 10 बालकों की वरीयता सूची के बाद वरीयता क्रम में जोड़ा जायेगा।

यही उदाहरण शहरी क्षेत्र के विद्यालय पर भी समान रूप से लागू होगा।

उदाहरण– 3 : एक निजी विद्यालय शहरी क्षेत्र के किसी वार्ड में स्थित है। नगर पालिका में कुल 16 वार्ड हैं जिनमें से यह विद्यालय वार्ड नम्बर 7 में स्थित है। विद्यालय में अधिनियम के अनुसार आरक्षित सीटों की संख्या एवं प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण निम्नप्रकार है :–

1. विद्यालय में एन्ट्री कक्षा में प्रवेश हेतु कुल सीटों की संख्या = 80
2. अधिनियम के अनुसार 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों की संख्या = 20
3. नगर पालिका के समस्त वार्डो से प्राप्त आवेदन पत्र = 17

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 20 सीटों के विरूद्व सम्पूर्ण नगर पालिका परिक्षेत्र से मात्र 17 ही आवेदन प्राप्त हुए है। अतः अन्यथा पात्र पाये जाने पर इन सभी बालकों का प्रवेश विद्यालय में होगा परन्तु लॉटरी द्वारा पहले इनकी वरीयता सूची तैयार की जाएगी। शेष रही 3 सीटों के लिए पुनः प्रयास करके पारदर्शी तरीके से इन सीटों को भरना होगा। इन्हें भरने के लिए भी उक्तानुसार दी गई पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(नोटः विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक पात्र नहीं पाये जाने की स्थिति में भी विद्यालय के कैचमेन्ट एरिया से बाहर के बालकों को इन सीटों पर प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा, विद्यालय प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात निःशुल्क प्रवेशित बालकों की सूची वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगें।)

परिशिष्ट – 7

सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रश्न – 1 जो विद्यालय पूर्व में हिन्दी माध्यम से संचालित है। वे अब अंग्रेजी माध्यम से संचालन की अतिरिक्त मान्यता लेना चाहते हैं, इस स्थिति में क्या प्रकिया अपनाई जाऐ ?

उत्तर – राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम,1993 के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त स्थिति का परीक्षण कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई विद्यालय अंग्रेजी माध्यम की मान्यता लेना चाहता है तो जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पात्र पाये जाने पर विद्यालय को मान्यता प्रदान कर सकते है।

प्रश्न – 2 कुछ विद्यालय निःशुल्क प्रवेश हेतु सीटों की अप्रत्याशित वृद्वि कर निःशुल्क प्रवेश के लिए अधिक सीटें घोषित कर रहे है, जबकि वहॉ पर सामान्य सीटों पर ही बहुत कम प्रवेश हो रहे है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?

उत्तर – 2 सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयों को सूचीबद्व कर इस तथ्य का गहनता से आकलन करें कि क्या विद्यालय में बढाई जा रही सीटों के आधार पर विद्यालय में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया है अथवा नहीं तथा वृद्वि के लिए आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया है अथवा नहीं। इस आंकलन के आधार पर ही सम्बन्धित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी गुणावगुण के आधार पर औचित्य का निर्णय करें तथा बढ़ाई गई सीटों के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश विद्यालयों को प्रदान करें तथा तदानुसार ही प्रवेश कार्य सम्पादित करावें।

प्रश्न – 3 यदि किसी कारणवश निःशुल्क प्रवेशित शिक्षार्थी विद्यालय सत्र के बीच में छोड दे तो इसके पुनर्भरण क्या होगा ?

उत्तर – गैर सरकारी विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेशित केवल उन्हीं छात्रों का पुनर्भरण होगा जो सत्र पर्यन्त अध्ययनरत रहा है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ने/टी.सी.लेकर अन्य विद्यालय में चले जाने/बिना टी.सी. लिये किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लेने/छात्र की मृत्यु हो जाने आदि कारणों से उस विद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा हो, तो ऐसे छात्र की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा यह सत्यापन दल सुनिश्चित करेगा। सत्यापन दल यह भी आकलन करेगा कि विद्यालय से ड्राप आउट बालकों की फीस के पुनर्भरण पेटे कितनी राशि विद्यालय को भुगतान की जा चुकी है। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक सत्रारम्भ से 31 अगस्त के मध्य कभी भी उपरोक्त वर्णित कारणों से ड्राप आउट हुआ है तो विद्यालय को उस बालक के सम्बन्ध में प्रथम किश्त का तो पुनर्भरण होगा परन्तु द्वितीय किश्त का पुनर्भरण नहीं होगा।

प्रश्न – 4 न्यून आय के आधार पर प्रवेशित बालक–बालिकाओं के निःशुल्क प्रवेश के पुनर्भरण हेत क्या सावधानी बरतनी आवश्यक है ?

उत्तर – सत्यापन दलों द्वारा निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं न्यून आय के आधार पर प्रवेशित बालकों के अभिभावकों द्वारा प्रत्येक सत्र के लिए प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र देखकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बालक चालू सत्र में न्यनू आय वर्ग में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु पात्र है। यदि अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो गई है तो बालक विद्यालय में तो अध्ययनरत रहेगा लेककिन उसकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। ऐसे छात्रों के नाम सत्यापन दल अपने प्रतिवेदन में पुनर्भरण हेतु सूची में सम्मिलित नहीं करेंगे।

प्रश्न – 5 निजी स्कूलों के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु राज्य सरकार से क्या निर्देश है ?
उत्तर – बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्कूल भवन होना आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि जो निजी शैक्षिक भवन 50 वर्ष तक पुराने है, उनके संबंध में प्रत्येक 3 साल में एक बार P.W.D. अथवा अन्य राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियन्ता से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लिया जावे।

प्रश्न – 6 यदि किसी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं 3 वर्ष की है, तो उसे वेब पोर्टल पर एन्ट्री लेवल कक्षा कौनसी भरनी है ?
उत्तर – जिस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से पूर्व) 3 वर्ष की है, उन्हें वेब पोर्टल पर एलकेजी (3 + वर्ष) कक्षा में फीडिंग करनी है, जिस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं दो वर्ष की है, उन्हें वेब पोर्टल पर यूकेजी.(4 + वर्ष) में फीडिंग करनी है तथा जिस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक वर्ष की हैं, उन्हें प्रेप (5 + वर्ष) में फीडिंग करनी है।

प्रश्न – 7 यदि कोई विद्यालय पूर्णतः बाहरी अनुदान से संचालित होता है तथा किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। क्या उस विद्यालय को आरटीई के अन्तर्गत 25प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश देने हैं?
उत्तर – ऐसे विद्यालयों को भी 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बलवर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देने है। लेकिन इन विद्यालयों को पुनर्भरण देय नहीं होगा।

प्रश्न – 8 यह कैसे स्पष्ट हो कि कोई विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय की श्रेणी में आता है तथा वह आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश के दायरे से बाहर है ?
उत्तर – राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29/30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाऐं घोषित की जाती है। अतः इन विभागों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही विद्यालय को अल्पसंख्यक की श्रेणी में माना जायेगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.4.2012 के द्वारा अन–एडेड अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को आरटीई के दायरे से बाहर किया है।

प्रश्न – 9 यदि किसी विद्यालय में वेब पोर्टल पर फीस, विद्यालय या बालकों का विवरण गलत भरकर लॉक कर दिया है, तो उसको सही कैसे किया जा सकता है ?
उत्तर – प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय बीईईओ से तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) से इन प्रविष्टियों को सत्यापित नहीं की गयी करवाकर पुनः स्कूल लॉगइन से सही कर सकते है।

प्रश्न – 10 यदि किसी विद्यालय, बीईईओ कार्यालय, डीईओ (मा.शि.) व डीईओ (प्रा.शि.) का पासवर्ड इनवेलिड हो जाता है तो वह कैसे रिसेट हो सकता है ?
उत्तर – प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय बीईईओ से तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) से पासवर्ड रिसेट करवा सकते है। बीईईओ के पासवर्ड जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) से रिसेट हो सकते है तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि./माशि.) अपने पासवर्ड निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा से रिसेट करवा सकते है।

प्रश्न – 11 यदि किसी विद्यालय का नाम , पता, या स्तर वेब पोर्टल पर गलत दर्ज है, तो उसे कैसे सही कराया जा सकता है ?
उत्तर – इस प्रकार के समस्त संशोधनों के लिए विद्यालय को लिखित में प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को देना होगा । जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) अपने लॉगइन से इन संशोधनों को सही कर सकते है।